



भारत सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नामांतरण श्रद्धि-पत्र

खिला का नाम धनबाद अनुमंडल नाम धनबाद अंचल का नाम धनबाद ब्लॉक धनबाद टल्का धनबाद  
इस्टेट का नाम झारखण्ड वर्तमान (VOL) 9 पृष्ठ संख्या वर्तमान 5 धनान. 2

क्रमिक संख्या	केस न.	भौजा का नाम/ राजस्व धानान	धाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिपूत क्रिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. वर्तमान	पृष्ठ संख्या वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	तगान	रजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति				
18061	2686 /R27 2021 - 2022	नवाडीह/ 2	झरिया	19/11/2021	By Sale Registration Deed 2463 Dated 21/06/2021	237	2	845	237	1558	2	हिस्मील	3	

केला का नाम :  
(प्रहलाद रवानी पिता-श्री शिव प्रसाद रवानी, जाति-----, पता-  
भूली बस्ती धनबाद ) जमाददी रैयत का नाम :  
श्रीम रवानी .पिता.रव हेमलाल रवानी

विक्रेता का नाम :  
श्रीमती फुखिया देवी, पति-स्व० भीम रवानी, जाति---, पता-भूली  
बस्ती धनबाद

Signature valid

Digitally signed by

PRASANT KUMAR LAYAK

अवलम्बिकारी धनबाद

राजस्व कर्मचारी हलका-01 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाएं हस्तान्तरित।  
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है  
यह प्रपत्र केवल प्रार्थ की जानकारी के लिए है  
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है

Prasant Kumar Layak  
19/11/2021

uplicate Copy  
Nov-2021

## आदेश

तिथि  
Nov 19 2021

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा नवाडीह थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
237	1558	0 एकड़, 2 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमती फुखिया देवी	पति	स्व० भीम रवानी

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2463 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरियत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
भीम रवानी	पिता	स्व हेमलाल रवानी

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान 3रुपये  
स्वीकृत

किया जाता है।

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
PRASANT KUMAR LAYAK  
अंचलाधिकारी धनबाद

प्रह्लाद १९/११/२१